निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 838) पटना, मंगलवार, 21 जुलाई 2015

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना

अधिसूचनाएं

8 जुलाई 2015

सं0 04—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(अधिनियम -39,1987) की धारा 29-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एतद् द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम,1998 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

1. उक्त विनियम, में विनियम विनियम-1 के खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :-

"(ग) बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम,1998 के साथ किसी विरोध की दशा में NALSA द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम 39,1987) के अधीन बनाये गये विनियम या दिवानी प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम 5, 1908) की धारा-89 के अधीन बनाए गए विनियम अविभावी होंगे ।"

2. विनियम 12 में

(क) उप-विनियम (i) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः-

"परन्तु वरीय न्यायिक सेवा से पूर्णकालिक सचिव के नियोजन पर, उसे नियुक्ति की शर्तों के अनुसार वेतन प्राप्त होगा ।"

(ख) उप-विनियम (IV) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम (V) एवं VI) जोड़े जायेंगे ।

"(v) सचिव की किन्हीं कारणों से अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार किसी सक्षम पदाधिकारी को कार्यवाहक सचिव बना सकेगा ।

(vi) अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, पूर्णकालिक सचिव बैंक खातों का संचालन करेगा और सभी प्रयोजनों के लिए वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होगा तथा पूर्णकालिक सचिव की अनुपस्थिति में, प्रभारी सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, जिसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप केषागार पदाधिकारी केा सूचित किया जायेगा, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।"

3. विनियम 25 के उप-विनियम (ii) के खण्ड (क) के उपखंड (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

" (क) **उच्च न्यायालय**

रिट आवेदन	..	2500/- रू0
एल0पी0ए0	..	2500/- रू0

	द्वितीय अपील	..	3000/- रू0
	प्रथम अपील	..	4000/- रू0
	सिविल विविध अपील	..	2000/- रू0
	आपराधिक पुनरीक्षण एवं अपील	..	2000/- रू0
	सिविल पुनरीक्षण	..	2000/- रू0
	प्रति मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ की फीस	..	3000/- रू0
	(ख) **जिला न्यायालय**		
	अवर न्यायाधीश के समक्ष दिवानी वाद	..	2500/- रू0
	अवर न्यायाधीश/ जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन	..	1000/- रू0
	सहायक सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक वाद	..	1500/- रू0
	दं0प्र0सं0 की धारा 232 के अधीन वाद	..	1000/- रू0
	प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष कोई वाद	..	2500/- रू0
	मुन्सिफ के समक्ष वाद	..	1500/- रू0
	न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष वाद	..	1000/- रू0
	मध्यस्थ के लिए फीस	..	1500/- रू0
(ग)	समाहर्त्ता, उपसमाहर्त्ता एवं अन्य समकक्ष न्यायालय, सर्वे न्यायालय सहित	..	1000/- रू0
(घ)	अनुमंडल दण्डाधिकारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता तथा अनुमंडल में समान प्रकृति एवं स्तर के न्यायालय	..	700/- रू0''

4. विनियम 30 के उप-विनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम (4) जोड़ा जायेगा :-

''**(4) लोक अदालत एवं चलंत लोक अदालत के न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्यों का चयन-** (क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अवकाश प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी तथा विधि व्यवसाय के सदस्यों, सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं, विधि सेवा में रूचि रखने वाले ख्याति प्राप्त व्यक्ति एवं स्वैछिक सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों से, आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा ;

(ख) आवेदकों का साक्षात्कार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं एक स्थानीय ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्त्ता को मिलाकर गठित कम से कम तीन सदस्यों वाली सामिति द्वारा किया जायेगा ;

(ग) समिति अन्य बातों के साथ-साथ आवेदकों की सामान्य उपयुक्तता, ख्याति, मुफ्त विधिक सेवा के प्रति प्रतिबद्वता एवं झुकाव, वंचित वर्गो के लिए सरकार की लाभकारी योजनाओं सहित विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम एवं योजनाओं, राज्य नियमावलियों एवं विनियमावलियों की जानकारी का मूल्यांकन करेगा;

(घ) नियुक्ति के पूर्व सेवा निवृत न्यायिक पदाधिकारी की सामान्य ख्याति के साथ सेवा-काल के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) आवश्यक रूप से मंगाया जायेगा एवं उस पर विचार किया जायेगा ;

(ङ) गैर न्यायिक सदस्यों का मूल्यांकन, उनकी सामान्य सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति, और अपने कार्यक्षेत्र में उनकी कुशाग्रता के आधार पर, किया जायेगा ।यदि चयन समति आवश्यक समझे तो जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन भी मांग सकेगी ;

(च) स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत के लिए नियुक्ति–काल 3(तीन) वर्ष होगा ।चयनित व्यक्ति किसी मामले में पक्षकार या अभियुक्त नहीं होगें और उसका कोई राजनैतिक जुड़ाव नहीं होगा ।सदस्यों का तीन वर्ष पश्चात पुनर्नामांकन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का पूर्ण विवेकाधिकार होगा जो सदस्यों के सबसे अच्छे फैसले के मूल्यांकन पर आधारित होगा। पुनर्नामांकन का अधिकार नही होगा ;

(छ) न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्यों का नामांकन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-20 (4) के अध्यधीन होगा ।न्याय, साम्य, निष्पक्ष व्यवहार के सिद्वान्तों तथा अन्य विधिक सिद्वान्तों से विचलन की दशा में ऐसे नामित सदस्य को विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई हेतु प्राधिकार द्वारा कारणपृच्छा निर्गत किया जायेगा ।प्रतिवेदन एवं अन्य तथ्यों पर विचार करने तथा अवसर के पश्चात कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को किसी सदस्य को निलंबित या पदच्युत करने का अधिकार होगा ;

(ज) चलंत लोक अदालत के सदस्यों की सूचीबद्वता कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अनुमोदन के अध्याधीन होगी तथा प्रत्येक श्रेणी, यथा सेवा निवृत्त न्यायिक पदाधिकारी,विधि व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं विधि छात्र से उसकी संख्या 50 (पचास) व्यक्तियों तक सीमित होगी । सूची का तीन वर्षो पर पुनरीक्षण किया जायेगा ।''

अन्य अपेक्षाएँ खण्ड (च) एवं (छ) के अनुसार रहेगी ।

5. विनियम 39 में-

(1) उप-विनियम(1) में प्रयुक्त शब्द, अंक और कोष्टक " रूपये 1000/- (एक हजार)" शब्द,अंक एवं कोष्टक "रूपये 2500/-(दो हजार पाँच सौ)" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएँगें ।

(2) विनियम 39 के उप-विनियम (2) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द, अंक और कोष्टक "रूपये 1000/- (एक हजार) शब्द, अंक और कोष्टक "रूपये 2500/-(दो हजार पाँच सौ)" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएँगे ।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सदस्य सचिव,
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार।

The 8th July 2015

No. 04—In exercise of power conferred under section 29A of Legal Services Authority Act, 1987 (Act 39 of 1987), The Bihar State Legal Services Authority hereby makes the following regulations to amend the Bihar State Legal Services Authority Regulations, 1998,as amended from time to time:-

1. The following Clause (C) shall be added after Clause (B) of Regulation 1 of the said Regulation , 1998:-

(C)- The provisions of Regulations framed by NALSA under Legal Services Authority Act, 1987 (Act 39 of 1987) or framed U/S 89 Civil Procedure Code, 1908 (Act 5 of 1908) will prevail to the extent it will be found contrary to the provisions of Bihar State Legal Services Authority Regulation, 1998.

2. In regulation 12-

(A) The following Proviso shall be added to sub-regulation (i)

"Provided that on appointment of full time secretary of the rank of Superior judicial Service, he shall get salary as per condition of appointment."

(B) After Sub-Regulation (iv) following new Sub-Regulations (v) and (vi) shall be added

"**(v) The Chairman of District Legal Services Authority may nominate an officer competent to be appointed as Secretary to officiate as Secretary for specified period in absence of Secretary for any reason.**

(vi) Subject to supervision of Chairman full time secretary shall operate the bank account and will also be Drawing & Disbursing officer for the District Legal Services Authority for all purposes and in absence of full time secretary incharge secretary will also function as drawing & disbursing officer subject to approval of the Chairman which shall also be intimated to the treasury officer".

3. Sub- Clause (A) to (E) of Clause (a) of sub- regulation (ii) of Regulation 25 shall be substituted by the following:-

" (A) High Court

Writ petition	**.. Rs.2500/**
L.P.A.	**.. Rs.2500/**
Second Appeal	**.. Rs.3000/**
First appeal	**.. Rs.4000/**
Civil Misc. Appeal	**.. Rs.2000/**
Cr. Revision and Appeal	**.. Rs.2000/**
Civil Revision	**.. Rs.2000/**
[Fee per Mediation	**.. Rs. 3000/]**

(B) District Court

Suit before sub-Judge	**.. Rs.2500/**
Original Petitions before Sub-Judge or District Judge	**.. Rs.1000/**

	Criminal cases before Asst. sessions Judge or Sessions Judge.	.. Rs.1500/
	Cases U/S 232 Cr.P.C.	.. Rs.1000/
	Any case before Principal judge, family Court	.. Rs.2500/
	Suit before a Munsif	.. Rs. 1500/
	Case before a Judicial Magistrate	.. Rs. 1000/
	Fee for Mediators (Per Mediation)	.. Rs. 1500/
(C)	**Cases before Collector/Additional Collector, other courts of the same rank including courts of settlement officers hearing cases relating to survey cases.**	.. Rs.1000/
(D)	**Cases before SDM, Executive Magistrates, LRDC, & other courts of the same nature and rank in Sub-Division**	.. Rs.700/ "

4 After Clause (3) of Regulation 30 of the following Clause (4) shall be added-

"**(4). Selection of Judicial Member and Non-Judicial Member for Lok Adalat and Mobile Lok Adalat- (a) The District & Sessions Judge–cum-Chairman , DLSA will invite applications from intending retired Judicial Officer and members of the legal profession, social workers, persons of repute interested in Legal Services Schemes and representatives of voluntary social organizations.**

(b) The applicants shall be interviewed by a Committee of at least three persons presided by the Chairman, DLSA, consisting of the Secretary, DLSA and one local social worker of repute.

(c) The Committee inter-alia shall assess general suitability, reputation, commitment and inclination towards free legal services, awareness of legal services Authority Act, NALSA Regulations, Schemes, State Rules and Regulations including beneficent Government Schemes for the deprived segments;

(d) The general reputation and ACR while in service of retired judicial officers shall necessarily be called and considered before selection;

(e) Non-judicial members shall be assessed on basis of general social reputation, social standing and professional acumen in their own field. The selection committee may also call for a report from the District Magistrate and Superintendent of Police if deemed necessary;

(f) For Permanent / Continuous Lok Adalat the tenure of selection will be three years. The persons selected shall not be a party/ accused in any case and must not have any political allegiance. Re-nomination after three years shall be the sole discretion of the BSLSA based on best judgment assessment. There shall be no right to re-nomination;

(g) The nomination of Judicial and Non-judicial Members shall be subject to section- 20 (4) of legal services Authority Act,1987. In case of deviation from principles of Justice, equity, fair play and other legal principles , show cause shall be issued by the Authority to such nominated members for appropriate action as per law. The Executive Chairman, BSLSA shall have the right to suspend and remove any member on consideration of report and other materials, after due opportunity;

(h) Empanelment of members for mobile lok adalat shall be subject to approval of the Executive Chairman, BSLSA limiting its number to 50

persons from each category i.e. retired Judicial Officers, Legal Professionals, Social Worker and law students. The panel will be revised at three year interval. Other requirements shall remain as per clause (f) and (g)."

5. In regulation 39-

(1) In Sub-Regulation (1) for the word, figure and letters " Rs. 1000/-(one thousand)", the word , figure and letters **"Rs. 2500/- (Two thousand five hundred)"** shall be substituted

(2) In proviso of sub-regulation (2) of Regulation 39 for the word, figure and letters "Rs 1000/- (one thousand) ", the word, figures and letters "**Rs. 2500/-** (**Two thousand five hundred**)" shall be substituted.

By order of the Bihar State Legal Services Authority,
Sd./Illegible,
Member Secretary,
Bihar State Legal Services Authority.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 838-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 838) पटना, मंगलवार, 21 जुलाई 2015

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना

अधिसूचनाएं

8 जुलाई 2015

सं0 04---विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(अधिनियम -39,1987) की धारा 29-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एतद् द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम,1998 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

1. उक्त विनियम, में विनियम विनियम-1 के खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :-

"(ग) बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम,1998 के साथ किसी विरोध की दशा में NALSA द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम 39,1987) के अधीन बनाये गये विनियम या दिवानी प्रकिया संहिता 1908 (अधिनियम 5, 1908) की धारा-89 के अधीन बनाए गए विनियम अविभावी होंगे ।"

2. विनियम 12 में

(क) उप-विनियम (i) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:-

"परन्तु वरीय न्यायिक सेवा से पूर्णकालिक सचिव के नियोजन पर, उसे नियुक्ति की शर्तों के अनुसार वेतन प्राप्त होगा ।"

(ख) उप-विनियम (IV) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम (V) एवं VI) जोड़े जायेंगे ।

"(v) सचिव की किन्हीं कारणों से अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार किसी सक्षम पदाधिकारी को कार्यवाहक सचिव बना सकेगा ।

(vi) अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, पूर्णकालिक सचिव बैंक खातों का सचालन करेगा और सभी प्रयोजनों के लिए वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होगा तथा पूर्णकालिक सचिव की अनुपस्थिति में, प्रभारी सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, जिसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप कोषागार पदाधिकारी को सूचित किया जायेगा, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।"

3. विनियम 25 के उप-विनियम (ii) के खण्ड (क) के उपखंड (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

" (क) **उच्च न्यायालय**

रिट आवेदन	..	2500/- रू0
एल0पी0ए0	..	2500/- रू0

	द्वितीय अपील	..	3000/- रू0
	प्रथम अपील	..	4000/- रू0
	सिविल विविध अपील	..	2000/- रू0
	आपराधिक पुनरीक्षण एवं अपील	..	2000/- रू0
	सिविल पुनरीक्षण	..	2000/- रू0
	प्रति मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ की फीस	..	3000/- रू0
	(ख) **जिला न्यायालय**		
	अवर न्यायाधीश के समक्ष दिवानी वाद	..	2500/- रू0
	अवर न्यायाधीश/ जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन	..	1000/- रू0
	सहायक सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक वाद	..	1500/- रू0
	दं0प्र0सं0 की धारा 232 के अधीन वाद	..	1000/- रू0
	प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष कोई वाद	..	2500/- रू0
	मुन्सिफ के समक्ष वाद	..	1500/- रू0
	न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष वाद	..	1000/- रू0
	मध्यस्थ के लिए फीस	..	1500/- रू0
(ग)	समाहर्त्ता, उपसमाहर्त्ता एवं अन्य समवक्ष न्यायालय, सर्वे न्यायालय सहित	..	1000/- रू0
(घ)	अनुमंडल दण्डाधिकारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता तथा अनुमंडल में समान प्रकृति एवं स्तर के न्यायालय	..	700/- रू0"

4. विनियम 30 के उप-विनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम (4) जोड़ा जायेगा :-

"**(4) लोक अदालत एवं चलंत लोक अदालत के न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्यों का चयन**- (क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अवकाश प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी तथा विधि व्यवसाय के सदस्यों, सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं, विधि सेवा में रूचि रखने वाले ख्याति प्राप्त व्यक्ति एवं स्वैछिक सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों से, आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा ;

(ख) आवेदकों का साक्षात्कार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं एक स्थानीय ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्त्ता को मिलाकर गठित कम से कम तीन सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जायेगा ;

(ग) समिति अन्य बातों के साथ-साथ आवेदकों की सामान्य उपयुक्तता, ख्याति, मुफ्त विधिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता एवं झुकाव, वंचित वर्गों के लिए सरकार की लाभकारी योजनाओं सहित विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम एवं योजनाओं, राज्य नियमावलियों एवं विनियमावलियों की जानकारी का मूल्यांकन करेगा;

(घ) नियुक्ति के पूर्व सेवा निवृत न्यायिक पदाधिकारी की सामान्य ख्याति के साथ सेवा-काल के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) आवश्यक रूप से मंगाया जायेगा एवं उस पर विचार किया जायेगा ;

(ङ) गैर न्यायिक सदस्यों का मूल्यांकन, उनकी सामान्य सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति, और अपने कार्यक्षेत्र में उनकी कुशाग्रता के आधार पर, किया जायेगा ।यदि चयन समिति आवश्यक समझे तो जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन भी मांग सकेगी ;

(च) स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत के लिए नियुक्ति-काल 3(तीन) वर्ष होगा ।चयनित व्यक्ति किसी मामले में पक्षकार या अभियुक्त नहीं होगें और उसका कोई राजनैतिक जुड़ाव नहीं होगा ।सदस्यों का तीन वर्ष पश्चात पुनर्नामांकन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का पूर्ण विवेकाधिकार होगा जो सदस्यों के सबसे अच्छे फैसले के मूल्यांकन पर आधारित होगा। पुनर्नामांकन का अधिकार नहीं होगा ;

(छ) न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्यों का नामांकन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-20 (4) के अध्यधीन होगा ।न्याय, साम्य, निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धान्तों तथा अन्य विधिक सिद्धान्तों से विचलन की दशा में ऐसे नामित सदस्य को विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई हेतु प्राधिकार द्वारा कारणपृच्छ निर्गत किया जायेगा ।प्रतिवेदन एवं अन्य तथ्यों पर विचार करने तथा अवसर के पश्चात कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को किसी सदस्य को निलंबित या पदच्युत करने का अधिकार होगा ;

(ज) चलंत लोक अदालत के सदस्यों की सूचीबद्धता कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अनुमोदन के अध्याधीन होगी तथा प्रत्येक श्रेणी, यथा सेवा निवृत्त न्यायिक पदाधिकारी,विधि व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं विधि छात्र से उसकी संख्या 50 (पचास) व्यक्तियों तक सीमित होगी । सूची का तीन वर्षों पर पुनरीक्षण किया जायेगा ।"

अन्य अपेक्षाएँ खण्ड (च) एवं (छ) के अनुसार रहेगी ।